

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक:F-109(8)/SIHFW/MH-Recruit/FHW/2023/206469

दिनांक : 17/4/2024

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक जिनका अंतिम चयन नहीं किये जाने के संबंध में संस्थान के आदेश क्रमांक 109(8)/SIHFW/MH-Recrut/FHW/2025/1652-57 दिनांक 16.3.2026 के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को 07 दिवस में चयन नहीं किये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर एवं शेष अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने के उपरान्त भी परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक नहीं मानते हुए, निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में किया गया अन्तिम चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है :-

S. NO.	Applicant Name	Application ID	Date of Birth	Father's Name	Category	अंतिम चयन नहीं किये जाने का कारण
1	MONIKA	HWN117814	30-07-2003	SHAKTI SINGH	OBC-NCL/--	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता वन लेग 30 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
2	SEEMA KUMARI	HWN128250	22-06-1993	NARAYAN KATHAT	OBC-NCL/--	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2025 के अनुसार अभ्यर्थी दिव्यांग नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी के आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
3	SUMAN KUMARI SHARMA	HWN129155	05-07-1993	SATYANARAYAN SHARMA	EWS/-	भर्ती समिति बैठक दिनांक 04.03.2026 अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन/जांच के सम्बंध में लिए निर्णय अनुसार अभ्यर्थिया का दिनांक 13.05.2025 को करवाये गये अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के अनुसार अभ्यर्थिया को जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अवधि 17.05.2022 से 18.05.2023 है, जबकि एनजीओ के उपस्थिति पंजिका की प्रति के अनुसार अभ्यर्थिया के हस्ताक्षर 07.05.2022 से अंकित है। जिसमें स्पष्ट काट-छांट की गयी है, एवं माह जून 2022 से नम्बर 2022 तक उपलब्ध करायी गयी उपस्थिति पंजिका की प्रति

50

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

					<p>में स्पष्ट काट-छांट है। नम्बर 2022 की उपस्थिति पंजिका की उपलब्ध करायी गयी प्रति में क्र०स० 3 पर सुभाष (अति.एएनएम) के हस्ताक्षर अंकित है। दिसम्बर 2022 से मई 2023 तक सुमन कुमारी शर्मा के हस्ताक्षर सही प्रतीत होते हैं। दिनांक 24.12.2024 को करवाये गये पुर्नसत्यापन के अनुसार अभ्यर्थिया की टंकित उपस्थिति जिसमें संविदाकर्मियों के हस्ताक्षर अंकित न होकर उपस्थित होना (पी) दर्शाया गया है। जिसमें अभ्यर्थी की उपस्थिति 16.05.2022 से अंकित है। जो सुभाष (अति.एएनएम) द्वारा त्यागपत्र देने पर सुमन कुमारी शर्मा को कार्यरत रहना बताया है। इस टंकित उपस्थिति में माह नम्बर 2022 में सुभाष का नाम अंकित नहीं है। जबकि दिनांक 13.05.2025 एवं 24.12.2024 को उपलब्ध करायी गयी उपस्थिति पंजिका की प्रति में सुभाष (अति. एएनएम) को माह नवम्बर 2022 में कार्यरत रहना बताया है। इस प्रकार दोनो उपस्थिति में भिन्नता पाई गई है तथा उपस्थिति पंजिका में स्पष्ट काट-छांट पाई गई है। मई 2022 से नवम्बर 2022 तक की उपस्थिति प्रमाणित नहीं पाये जाने के आधार पर शेष अनुभव अवधि 1 वर्ष से कम तथा कोविड अवधि नहीं होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के प्रतिशत प्राप्तांक 44.250 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस की कट आफ मार्कस से कम होने के कारण चयन योग्य नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

10- निदेशक

दिनांक : 17/4/2026

क्रमांक:F-109(8)/SIHFW/MH-Recruit/FHW/2023/2064-69
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार